न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

...नापत्र स0 188 / 12

1– अर्जुनसिह । पुत्रान रामसिह
2–रामवीरसिह ।
3–जगदीश ।
4–हरवंश ।
5–श्रीमती केतो पत्नि रामसिह
6–भीमसैन ।
7–रामेश्वर ।पिसरान रामचरन
8–खुशीराम ।
9–रामढकेली पत्नि रामचरन
समस्त जातियान नाई निवासी खेडिया जॉट तहसील रूपवास जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1–मुन्ना ।
2–महेश ।पुत्रान नानिगा जाति ब्राहम्ण निवासी खेडिया जाट
3–पप्पू ।
4–सुरेश ।पुत्रान मिहीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडिया जाट
5–गुडडू ।
6–श्रीमती शीला पत्नि मिहीलाल
7–श्रीमती गुडिया पुत्री मिहीलाल पत्नि नामालुम जाति ब्राह0 निवासी भॅडौर तहसील भरतपुर
8– ओमप्रकाश पुत्र वेदरिया जाति ब्राहम्ण निवासी खेरिया जाट
9–श्रीमती किशनी देवी पत्नि नत्थीलाल
10–सजय कुमार उर्फ सन्जू ।
11–मिन्टू ।पुत्रान रामजीलाल
12– नरेश ।
13–श्रीमती अंगेरी वेवा रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खेरिया जाट
14–श्रीमती रेखा पुत्री रामजीलाल पत्नि नामालुम जाति ब्राहम्ण निवासी हिंगौटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
15– अनीता पुत्री रामजीलाल पत्नि राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी अछनेरा तहसील किरावली जिला आगरा
16– जलसिह पुत्रडूगरसिह जाति गडरिया
17–ओमप्रकाश पुत्र डूगरसिह जाति गडरिया
18–बच्चूसिह ।
19–राजू ।
20–वीरो ।पिसरान गोपाल जातियान गडरिया

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

21—भग्गो ।
22—महेन्द्र ।
23—सवलसिह ।
24—श्रीमति चम्पा पत्नि गोपाल जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट तहसील रूपवास
25—श्रीमती कमलेश पुत्री गोपाल पत्नि नामालुम जाति गडरिया निवासी तीनुरा तहसील किरावली जिला आगरा
26—दिनेश ।
27—हरेश । पुत्रान भूपसिह
28—श्रीमती पतरी वेवा भूपसिह जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट तहसील रूपवास
29—श्रीमती माया पुत्री भूपसिह पत्निनामालुम जाति गडरिया निवासी बॉसी तहसील नदवई
30—निहाल ।
31—वीरसिह ।
32—रमेश ।
33—महेश ।पुत्रान लौहरा जाति गडरिया निवासी खेडिया जाट
34—बसन्ती वेवा लौहरा जाति गडरिया निवासी खेडिया जाट
35—किरोड़ी पुत्र ग्यासी जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
36—श्रीमती किन्नो पत्नि किरोडी मृतक
36/1—वीरीसिह ।
36/2—अशोक । पुत्रान किरोडीलाल जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
36/3—दीवानसिह ।
36/4अनारदेई पत्नि तेजसिह जाति गडरिया निवासी ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
37— फूलचन्द्र ।
38—बैजनाथ ।
39—बुद्वसिह ।पुत्रान लक्खो जाति गडरिया निवासी खेडिया जाट तहसील रूपवास
40—टीका ।
41—रामस्वरूप पुत्र जौहरी जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
42— पूरन पुत्र रामचरन मृतक
42/1—सौनदेई पत्नि पूरन
42/2— रघुवीर ।
42/3—महावीर ।
42/4—सोरनसिह ।पुत्रान पूरन जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
42/5—रामप्रकाश ।
42/6—श्रीमती बिज्जो पुत्री पूरन पत्नि बदनी जाति गडरिया निवासी रसीलपुर तहसील किरावली जिला आगरा
42/7—श्रीमती कमला पुत्री पूरन पत्नि हरीशचन्द जाति गडरिया निवासी दौरेठा जिला आगरा
43—भीमसिह पुत्र भरगवानसिह
44—कृष्णसिह पुत्र तेजसिह
45—चोबसिह पुत्र हाकिम
46—भोपत पुत्र हाकिमसिह जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट तहसील रूपवास
47— बल्ला पुत्र मनीराम मृतक
47/1— रनवीर पुत्र बल्ला
47/2—श्रीमती शीला पुत्री बल्ला पत्नि लालसिह जाति गडरिया निवासी बरौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

47/3–श्रीमती गुडडी पुत्री बल्ला पत्नि निरोती जाति गडरिया निवासी बरौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर
47/4–श्रीमती बत्तर पुत्री बल्ल पत्नि विजयसिह जाति गडरिया निवासी बरौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर
47/5–श्रीमती मीना पुत्री बल्ला पत्नि गुड्डू निवासी नानऊ जिला आगरा
47/6–श्रीमती कुन्ता पुत्री बल्ला पत्नि मोहनसिह जाति गडरिया निवासी सौनगॉव तहसील डीग जिला भरतपुर
47/7–श्रीमती मंजू पुत्री बल्ल ा पत्नि राजपाल जाति गडरिया निवासी सौनगाव तहसील डीग जिला भरतपुर
48–सौनी पुत्र शीशा ।
49–कैलासी पुत्र देवजीत
50–बच्चू पुत्र बोवला
51–पातीराम पुत्र जशवन्त जातियान गडरिया निवासी खेरिया जाट
52–हरीसिह ।
53– केशव ।पुत्रान ज्वानसिह जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
54–रामनिवास ।
55–प्रेमसिह पुत्र ग्यासी जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
56– नत्थो ।
57–डालचन्द्र ।
58–शिवसिह ।
59–रमेश । पुत्रान शीतल जाति गडरिया निवासी खेरिया जाट
60–श्रीमती रामदेई पत्नि बादाम
61– हरीसिह पुत्र शंकर जातियान गडरिया निवासी खेडिया जाट तहसील रूपवास

असल प्रतिवादीगण

62–श्रीमती पुत्री रामसिह पत्नि रामस्वरूप जाति नाई निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
63–श्रीमती इन्द्रा पुत्री रामसिह पत्निदिलीप जाति नाई निवासी माकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
64–सुनीता पुत्री रामसिह पत्नि रामदीन जाति नाई निवासी मानपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
65–श्रीमती गुमानदेई पुत्री रामचरन पतिन कवंरसिह जाति नाई निवासी जरीला तहसील रूपवास जिला भरतपुर
66–श्रीमी बतश्री पुत्री रामचरन पत्नि मोतीराम जाति नाई निवासी ककलपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
67–राजस्थान सरकार जरिये लैण्उ होल्डर तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

तरतीवी प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1– श्री शंकरदयाल शर्मा अभिभाषक वादीगण
2–श्री अवधेश कुमार गोयल अभिभाषक प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

निर्णय   दिनांक 16/2/18

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आाराजी खसरा न0420/119/मिन2 रकवा 8-12 बीघा बाके ग्राम खेडिया जाट में स्थित है। वादीगण स01 लगायत 5 व तरतीवी प्रतिवादी स0 62लगायत-64 को बहिस्सा बराबर 1/42 हिस्सा , वादी स0 6 लगायत 9 व तरतीवी प्रतिवादी स065 व 66 बहिस्सा बराबर 1/42 हिस्सा अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है। तभी से प्रार्थगण अपने अपने हिस्से की विवादित आराजी को वहैसीयत खातेदार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। तथा इस समय भी मौके पर प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का इसी प्रकार कब्जा काश्त है विववादित आराजी में अप्रार्थीगणा स 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1/21 हिस्सा अप्रार्थीगण स0 3 लगायत 7 बहिस्सा बराबर 1/42 हिस्सा अप्रार्थीगण स0 8 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थीगणी स09 का 1/42 हिस्सा, 10 लगायत 15 बहिस्सा बराबर 1/42, अप्रार्थीगण0स 16 व17 बहिस्सा बराबर1/42 हिस्सा, 18 का 9/336 हिस्सा, अप्रार्थीगण19 लगायत 23 व 25 बहिस्सा बराबर 1/56 हिस्सा, अप्रार्थीगणस0 24 का 9/336हिस्सा अप्राथीगण26लगायत 29 बहिस्सा बराबर1/42हिस्सा, 30 लगायत 33 का 2/105 हिस्सा अप्रार्थीगण स0 34 का 1/35 हिस्सा अप्रार्थीगण 35 का 1/42 हिस्सा, 36 का 1/42 हिस्सा 37 लगायत 40 बहिस्सा बराबर1/42 हिस्सा, 41 का 1/42 हिस्सा 42 का 1/42 हिस्सा 43का 1/42 हिस्सा, 44 का 1/42 हिस्सा , 45 का 1/42 हिस्सा अप्रार्थीगण स0 46 लगायत 61 प्रत्येक का 1/42 हिस्सा अर्थात बहिस्सा बराबर 8/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है इसी प्रकार मौके पर काबिज चले आ रहे है रामसिह की मृत्यू हो गई है जिसका विववादित आराजी में 1/42 हिस्सा है जिसका कोई भी वारिस नही होने के कारण उपरोक्त आराजी का दानो पक्ष काबिज है । विवादित आराजी के वादीगण/प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण सहखातेदार हे काश्तकार है व मौके पर सभी अभी तक सामिल काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अब सामिल काश्त करने में प्रतिदिन झगडा होता रहता है इसलिये आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीटस एण्डवून्डस विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया हैं प्रतिवादीगण दिनांक 6.7.2012 को मौके पर आगये तथा विवादित आराजी से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर लगे व आराजी पर जबरन कब्जा करने लगे लेकिन वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के विरोध के कारण उस रोज कब्जा नही कर सके लेकिन प्रतिवादी असल चलते समय यह ऐलानिया धमकी जरूर देगये कि वादीगण की आराजी को शीघ्र की बेदखल कर देगें यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराना आवश्यक हो गया है। दिनांक 6.7.2012 को दिये जाने धमकी के कारण वादकरण पैदा हुआ है

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र वादीगण/प्रार्थीगण विरूद्व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से पावन्द फरमाया जावे । अप्रार्थीगणको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावन्द फरमाया जावे किवह विवादित मद स0 1 वादपत्र के कब्जे काश्त वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण में कोइ मदाखलत मजाहमत बेजा न करें वादीगण की आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे विवादित आराजी को विभाजन से पूर्व बिना भूमि रूपान्तरण कराये किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करावे ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी/ अप्रार्थीगण स0 17,21,24,26,27,28,31,53,56,58,67 की तलब होने के उपरान्त भी उपस्थति नही अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-13 को

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

एक पक्षीय आदेश पारित किया गया । 36,50,60 इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही पारित की गई प्रतिवादी स01 लगायत 5 तथा 9 लगायत 12,22,23,33,37,40,51,52,54,57,59,61 के द्वारा जबाब पेश नही किया जबाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादी 18,19,20,44 इतला के बाबजूद भी उपस्थित नही इनके ख़िलाफ एक पक्षीय कार्यवाही पारित की गई । अप्रार्थीगण/ प्रतिवादी स. 35,36,38,39,43,45,46,47,48,49,50,55 व 60 ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया । वाद पत्र की मद स0 1 ,2,3,4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार नही है। मद स0 5,6,7,8,9,10,11,12 कानूनी है। अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि सही बात तो यह है कि विवादित कृषि भूमि गॉव के गौडे में है। जिसमें वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से में व उससे ज्यादा में वादी स0 1 व वादी स0 4 ने अपने अपने मकान बना रखे है जिनमें वो रिहायश करते है तथा बाकी कृषि भूमि में प्लाट बने हुये है जो कि प्रतिवादीगण घूरे बगै0 रखते है तथा वे अपनी अपनी जगह पर काबिज है। उक्त कृषि भूमि में करीब 50 साल से कभी भी काश्त नही हुई है। इसलिये आपस में ढझगडा होने के का तो कोई सवाल ही नहीं है वादीगण पैसे वाले व ताकतवर व्यक्ति है जिन्होने गॉव के मौजूदा लोगो को भी अपनी ओर मिला लिया है प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 व 12 ने अपना हिस्सा बिकय कर दिया है उसको भी गलत पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष क्लीन हैण्ड से उपस्थित नही हुये है। इसयिले प्रार्थनापत्रा खारिज किये जाने योग्य है।

योग्य अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया योग्य अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण वअप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। सहखातेदार का प्रत्येक इचं पर कब्जा माना जाता है। प्रथम दृष्टया प्राईमाफैसी केस, सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रमाणित नही होने से प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 9–7–2012 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)